



2026:AHC:32432

उच्च न्यायालय इलाहाबाद
रिट- ए संख्या 2177 सन् 2026

प्रभु दयाल पटेल

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

..... प्रत्यर्थागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: गौरी शंकर यादव
प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री गौरी शंकर यादव और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना।
2. याचिकाकर्ता का दावा है कि उसे प्रारंभ में 01.01.1981 को चतुर्थ श्रेणी के दैनिक वेतन भोगी पद पर नियुक्त किया गया था। उसके अनुसार, उसे 29.07.2003 को नियमित किया गया और उसने स्थायी रूप से पद भार ग्रहण किया। वह प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, सिविल अपील संख्या 6798 सन् 2019 में दिये गये निर्णय दिनांक 02.09.2019 के प्रकाश में पेंशन पाने का दावा करता है।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह ने न्यायालय का ध्यान पेपर बुक के पृष्ठ संख्या 103 की ओर आकर्षित करते हुए यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ता कि नियुक्ति 30.09.2011 को हुई थी, जो नई पेंशन योजना के लागू होने के बाद की तिथि है। हालांकि, उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के दावे पर प्रथम दृष्ट्या प्रत्यर्था संख्या 3 द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है।
4. बार द्वारा प्रस्तुतीकरण पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक अभ्यावेदन प्रत्यर्था संख्या 3 के समक्ष प्रस्तुत करे, जिस पर प्रत्यर्था आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने के भीतर विधि के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर दृढतापूर्वक विचार कराया।

13 फरवरी, 2026

2

एनओ एसओ राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"